



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ खंडपीठ

रिट - ए संख्या - 3155 वर्ष 2026

जगदीश प्रसाद (पीएनओ-972331469)

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह) लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बीरेन्द्र कुमार यादव, मनोज कुमार यादवप्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -18

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. 14.06.2025 के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की गई है, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता का स्थानांतरण गौतम बुद्ध नगर से सहारनपुर कर दिया गया है। इसके साथ ही 29.11.2025 के कार्यमुक्ति आदेश को भी चुनौती दी गई है।
3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता का मामला रिट-ए संख्या 7025 वर्ष 2025 में दिनांक 24.07.2025 को पारित निर्णय और आदेश के अंतर्गत पूर्णतः आता है, जो इस प्रकार है:-

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. आज दाखिल किया गया प्रति उत्तर शपथपत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।

3. इससे पूर्व 4 जुलाई 2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. 14.06.2025 के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण कासगंज से अयोध्या, फायरमैन के पद पर कर दिया गया है।

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 15.02.2024 के सरकारी आदेश के प्रावधानों के विरुद्ध पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत फायरमैन और इसी प्रकार के अन्य कर्मियों के स्थानांतरण पर विचार करने के उद्देश्य से एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त समिति में अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, और अग्निशमन सेवाओं के निदेशक या सबसे वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी को महानिदेशक के एक नामित सदस्य के साथ समिति के सदस्यों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश उक्त सरकारी आदेश के माध्यम से गठित समिति के अनुरूप पारित नहीं किया गया है, क्योंकि दिनांक 06.06.2025 को आयोजित बैठक में स्थानांतरण से संबंधित विचार-विमर्श में निदेशक या सबसे वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी शामिल नहीं थे। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि स्थानांतरण के संबंध में निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाना आवश्यक था।

4. यह प्रस्तुत किया गया है कि स्थानांतरण किए जाने से पूर्व विभाग द्वारा दिनांक 27.03.2025 को एक परिपत्र भी निर्गत किया गया था, जिसमें कर्मचारियों से तीन विकल्प प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और जिसके अनुपालन में याचिकाकर्ता ने जिला हाथरस, मथुरा अथवा फिरोजाबाद हेतु तीन विकल्प प्रस्तुत किए थे, परंतु आक्षेपित आदेश उपर्युक्त विकल्पों पर विचार किए बिना ही पारित कर दिया गया है।

5. विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिनांक 03.07.2025 के लिखित निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिसकी एक प्रति अभिलेख पर ले ली गई है, साथ ही 06.06.2025 की आख्या की एक प्रति भी अभिलेख पर है, जो यह दर्शाती है कि निदेशक/सबसे वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी अपनी अनुपलब्धता के कारण बैठक में शामिल नहीं हुए। 03.07.2025 के लिखित निर्देश के प्रस्तर संख्या 2 में यह कथन किया गया है कि श्री अजय कुमार गुप्ता विभाग में उपलब्ध सबसे वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी थे, परन्तु 13.09.2021 के आदेश के तहत उन पर एक बड़ी शास्ति लगाई गयी थी, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया था, परंतु चूंकि अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 7037 वर्ष 2022 में चुनौती दी गई थी, इसलिए उन्हें 06.06.2025 को आयोजित बैठक में शामिल होने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था।

6. प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों में बल प्रतीत होता है और वे विचारणीय हैं, जिसके लिए विपक्षी गण को विशेष रूप से यह इंगित करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु दो सप्ताह का समय दिया जाता है कि क्या शासनादेश के माध्यम से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गठित समिति के सदस्यों की भागीदारी के साथ इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

7. इस प्रकरण को 24.07.2025 को फ्रेश (नए मामलों) के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।

8. अगली सुनवाई की तारीख तक दिनांक 14.06.2025 के आक्षेपित आदेश का क्रियान्वयन जहाँ तक वह याचिकाकर्ता से संबंधित है, स्थगित रहेगा।”

4. इसी के अनुसरण में एक प्रति उत्तर शपथपत्र दाखिल किया गया है और उसके प्रस्तर 3(बी) में यह स्वीकार किया गया है कि फायरमैन के वार्षिक तबादलों पर विचार करने हेतु 6 जून 2025 को एक समिति का गठन किया गया था, परन्तु उप निदेशक के पद पर तैनात सबसे वरिष्ठ अधिकारी श्री अजय कुमार गुप्ता को 13 सितंबर 2021 के दंडादेश के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया था। उक्त प्रस्तर स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री अजय कुमार ने एक दावा याचिका दाखिल की थी, जिसे स्वीकार करते हुए दंडादेश को रद्द कर दिया गया था, परंतु उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध रिट ए संख्या 7037 वर्ष 2022 अभी भी विचाराधीन है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. विपक्षीगण की ओर से की गई उपर्युक्त स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए दिनांक 14 जून 2025 के आक्षेपित स्थानांतरण आदेश को सर्टिओरारी / उत्प्रेषण की प्रकृति का रिट जारी करके एतद्वारा रद्द किया जाता है, साथ ही विपक्षीगण को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे इस पहलू पर दिनांक 15 फरवरी 2024 के सरकारी आदेश के पूर्णतः अनुरूप नए सिरे से विचार करें।

7. परिणामस्वरूप याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

4. इस प्रकरण में भी समिति का गठन 15.02.2024 के सरकारी आदेश के अनुसार नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश एक ऐसी समिति द्वारा पारित किया गया है, जिसका गठन उपर्युक्त सरकारी आदेश के अनुरूप नहीं किया गया था। विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके, और न ही इस तथ्य का कि यह प्रकरण पूर्ण रूप से उपर्युक्त निर्णय के अंतर्गत आता है।

तदनुसार, उक्त निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. उपर्युक्त को देखते हुए दिनांक 14.06.2025 का आक्षेपित आदेश जहाँ तक वह याचिकाकर्ता से संबंधित है, एतद्वारा रद्द किया जाता है, और याचिकाकर्ता को वही स्वतंत्रता प्रदान की जाती है जो बिशंभर दयाल गौतम (उपर्युक्त) के प्रकरण में प्रदान की गई थी।

6. परिणामस्वरूप रिट याचिका सफल होती है और इसे प्रवेश स्तर पर ही स्वीकार कर लिया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

24 मार्च, 2026

मधु जे.आर./पी.एस

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।